रजिस्ट्री सं० डी(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 1977/पौष 13, 1898
[No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 1977/PAUSA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

New Delhi, the 3rd January 1977

G.S.R. 3(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby constitutes the Appellate Tribunal for Forfeited Property and appoints Hon'ble Shri Justice Janki Nath Wazir, retired Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir, as Chairman and Shri Kailash Narain, Director (Publications and Public Relations), and Shri V V Badami, Commissioner of Income-tax, Tamil Nadu-I, Madras (being officers of the Central Government not below the rank of Joint Secretary to the Government) as Members thereof

[No F A. 32014/6/76-Ad.II]

K. R. NARASIMHAN, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

प्रधान कार्यालय संस्थापन

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 3(अ).—तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जब्त की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायाधिकरण का एतद्द्वारा गठन करती है और जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश श्री जानकी नाथ वजीर को उसके अध्यक्ष के रूप में और श्री कैलाश नारायण, निदेशक (प्रकाशन तथा जन सम्पर्क) तथा श्री बी० बी० बदामी, आयकर आयुक्त, तमिल नाडु–1 मद्रास को, (जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जिनका ओहदा सरकार के संयुक्त सचिव के ओहदे से कम नहीं है) उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० फा० ए० 32014/6/76-प्रशा–1]

के० आर० नरसिंहन, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977